न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 141/2018

गोवर्धन सिंह पुत्र नन्दाराम जाति जाट निवासी उम्र 50 वर्ष निवासी महणों की ढाणी देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान

–वादी

बनाम

1. भूमिधारक (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
2. शिशपाल पुत्र सुरजा
3. सुमेर पुत्र काना
4. जयकोरी पत्नी कानाराम
5. फूलचन्द पुत्र रामूराम

जाति जाट निवासीगण देवगांव गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

6. शिशपाल पुत्र अर्जुन
7. सांवरमल पुत्र अर्जुन
8. कोयली देवी पत्नी प्रभू
9. राकेश पुत्र प्रभू
10. मुनेश पुत्र प्रभू
11. सुनिता पुत्री प्रभू
12. सुमन पुत्री प्रभू
13. विधाधर पुत्र लिछमण
14. भगवाना पुत्र चुना
15. हरीराम पुत्र उमा
16. सुनिल पुत्र बजरंग
17. मोनू पुत्र बजरंग
18. कमला पत्नी बजरंग
19. मदन पुत्र भंवरलाल
20. विजेन्द्र पुत्र भंवर लाल
21. धनपती पत्नी भंवरलाल
22. जयप्रकाश पुत्र हरफूल
23. अजय पुत्र हरफूल
24. बनारसी पत्नी रामकुमार
25. इन्द्रा पत्नी मेघाराम
26. युद्धवीर पुत्र मेघाराम
27. रूघवीर पुत्र मेघाराम
28. संतोष पत्नी रामुराम
29. मक्खन पुत्र रामूराम
30. छगन पुत्र रामूराम

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:26 IST
Reason: SelfAttested

31. जगदीश पुत्र श्यामलाल
32. बिदाम पत्नी श्यामलाल
33. खेमचन्द पुत्र श्यामलाल
34. सवाई पुत्र श्यामलाल
35. सरोज पुत्री श्यामलाल
36. भूदा पुत्र कालूराम
37. द्वारका पुत्र कालूराम
38. छोटी देवी पत्नी रामू
39. रामपाल पुत्र रामू
40. हरीराम पुत्र रामू

जाति मीणा निवासीगण देवगांव गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

41. महाबीर प्रसाद पुत्र रामसिंह
42. मन्जू देवी पत्नी महेश कुमार

जाति जाट निवासीगण देवगांव गोठडा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

42/1 प्रिंस राज पुत्र महेश उम्र 11 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षिका माता मंजू देवी पत्नी महेश कुमार जाति जाट निवासी देवगांव गोठडा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

43. बनवारी पुत्र रामसिंह
44. पतासी पत्नी रामसिंह
45. रणजीत पुत्र झाबरसिह

जाति जाट निवासीगण देवगांव गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वकील वादी — श्री विप्लव पंडित
वकील प्रति. — राजपैरोकार

दावा बाबत घोषणार्थ व नक्शा दुरूस्ती

निर्णय तिथि 22.03.2021

:: निर्णय ::

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी ग्राम महणों की ढाणी का स्थायी निवासी है, तथा ग्राम देवगांव पटवार हलका गोठडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर सम्वत् 2009 में खसरा नबर 244, 259, 223, 224 में से एक रास्ता जो खसरा नम्बर 244 के उत्तरी कोने से शुरू होकर खसरा नम्बर 259, खसरा नम्बर 224 मे से होकर ग्राम खोजावास की तरफ जाता था। इसी रास्ते मे से एक रास्ता खसरा नम्बर 259 के खेत की उत्तरी सीमा से कटकर खसरा नम्बर 223 तक आता था जो नक्शा सीट 2009 में कटा हुआ कटाण का रास्ता था जिसको नजरी नक्शे से बिन्दु ए.बी.सी. व डी. से दर्शाया गाय है, समय के अनुसार इन पुराने खसरो के नये खसरा नम्बर बन गये जिनका मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 के अनुसार पुराने खसरों के नये नम्बर निम्नानुसार बनाये गये ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठडा के पुराने खसरा नम्बर 244 के नये खसरा नम्बर 434, खसरा नम्बर 435, खसरा नम्बर 436 बनाये गेय इसी अनुसार पुराने खसरा नम्बर 258 के नये खसरा नम्बर 441 बने पुराने खसरा नम्बर 259 के नये खसरा नम्बर 442 व 443 बने तथा पुराने खसरा नम्बर 223 के नये खसरा नम्बर 398 बने व पुराने खसरा नम्बर 224 के नये खसरा नम्बर 396 खसरा नम्बर 397 खसरा नम्बर 399 , खसरा नम्बर 400 व खसरा नम्बर 401 बने।

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण जो नया नक्शा शीट आधार वर्ष 1985 मे बने उसमें पुरानी सीट सम्वत् 2009 के अनुसार रास्ता कटान का था उस रास्ते को नई सीट आधार वर्ष 1985 में नही दर्शायाा जो नजरी नक्शे से दिखाई बिन्दु ए.बी.सी.डी. के अनुसार दर्शायाा जाना चाहिए था इसलिये उक्त वादी नक्शा ट्रेस आधार वर्ष 1985 दुरुस्त करवाने के लिए पेश किया गया है।

उपरोक्त खसरा नम्बरान में वादी की कृषि भूमि व अन्य काश्तकारों की कृषि भूमि मे से नजरी नक्शें में दर्शायेनुसार बिन्दु ए.बी.सी.डी. के अनुसार आधार वर्ष 2009 से सम्वत् 2042 तक कटा हुआ कटान का रास्ता है, जो सम्वत् 2009 के नक्शा ट्रेश में वादी व अन्य काश्तकारों की कृषि भूमि में से राजस्व रिकार्ड के दर्जशुदा है। परन्तु वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में ए.बी.सी.डी. बिन्दु के अनुसार दर्ज नही है जब कि नजरी नक्शें में दर्शाये बिन्दु ए.बी.सी.डी. तक दर्ज होना चाहिए था, जो राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने कटान के रास्ते को गलत रिकार्ड दर्ज कर दिया। वाद–पत्र के साथ नक्शा ट्रेस प्रस्तुत है, जो वाद–पत्र का अभिन्न अंग समझा जावे। इसलिए उक्त वादी नक्शा दुरूस्तीकरण व घोषणार्थ का पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत नक्शा ट्रेस रास्ते का अंकन नक्शे में नही किया जब कि नरजी नक्शे के व आधार वर्ष 2009 के अनुसार बिन्दु ए.बी.सी.डी. के अनुसार अंक तक राजस्व रिकार्ड में रास्में का अंकन नक्शा ट्रेस सीट में होना चाहिए था वर्तमान में नक्शा ट्रेस में नक्शा मे आधार वर्ष 1985 में रास्ता का अंकन नही होने के कारण वादी व अन्य कास्तकारों को अपने खेत में आने–जाने मे काफी परेशानी हो रही है, राजस्व कर्मचारियो ने पैमाईश के समय रास्ते का जो नक्शा ट्रेस 2009 में अंकन है, उसको वर्तमान में बिना अधिकार के बदल दिया, जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही था।

वर्तमान नक्शा ट्रेस में रास्ता उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि के अुनसार रिकार्ड में दर्ज नजरी नक्शे में दर्शायी बिन्दु ए.बी.सी.डी. के अनुसार नही होने के कारण जो रिकार्ड गलत बना दिया उक्त गलत रिकार्ड के कारण वादी व अन्य खातेदारो को अपनी कृषि भूमि में गाड़ी ट्रोली बस को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है, इसलिए वादी इस रिकार्ड को सही करवाने के लिए वादी पेश किया है।

उक्त वाद के लिए वादकारण दिनांक 06.10.2009 को जब वादी ने उक्त रास्ता के रिकार्ड की नकल प्राप्त की तब वादी को वास्तविक स्थिति का पता चला, कि उक्त राजस्व रिकार्ड नक्शे मे गलत दर्शाया है, के रोज से लेकर आज तक श्रीमान के क्षैत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

वादी द्वारा वाद–पत्र मे अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा की जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 01 को आदेशित किया जावे कि ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर सम्वत् 2009 में खसरा नम्बर 244, 259, 223, 224 थे इनमें से एक रास्ता जो खसरा नम्बर 224 के उतरी कोने से शुरू होकर खसरा नम्बर 259, 224 मे से होकर ग्राम खोजावास की तरफ जाता था। इसी रास्ते में से एक रास्ता खसरा नम्बर 223 के खेत की उतरी सीमा से कटकर खसरा नम्बर 223 तक आता था जो नक्शा शीट 2009 में कटा हुआ कटाण का रास्ता था जिसको नजरी नक्शे में बिन्दु ए.बी.सी. व डी से दर्शायाा गया है इन पुराने खसरो के नये नम्बर बन गये जिनका मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 के अनुसार उपरोक्त पुराने खसरो के नये खसरा नम्बर निम्नानुसार बनाये गये ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठड़ा के पुराने खसरा नम्बर 244 के नये खसरा नम्बर 434, 435, 436 बनाये गये इसी अनुसार पुराने खसरा नम्बर 258 के नये खसरा नम्बर 441 बने पुराने खसरा नम्बर 259 के नये खसरा नम्बर 442 व 443 बने तथा पुराने खसरा नम्बर 223 के नये खसरा नम्बर

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:26 IST
Reason: SelfAttested

398 बने व पुराने खसरा नम्बर 223 के नये खसरा नबर 398 बने व पुराने खसरा नबर 224 के नये खसरा नम्बर 396 खसरा नम्बर 397 खसरा नम्बर 399, खसरा नम्बर 400 व खसरा नम्बर 401 बने। नक्शा ट्रेश सीट आधार वर्ष 1985 में बनी उससे पुरानी सीट सम्वत् 2009 के अनुसार रास्ता कटान का था उस रास्ते को नई सीट आधार वर्ष 1985 में नही दर्शाया जो नजरी नक्शे में दिखाई बिन्दु ए.बी.सी.डी. के अनुसार दर्शाया जाना चाहिए, उक्त नक्शा ट्रेस आधार वर्ष 1985 को दुरूस्त करवाया जाकर आधार वर्ष 1985 की नजरी नक्शे ट्रेस में बिन्दु ए.बी.सी.डी. के अनुसार रास्ता दुरूस्त किया जावे तथा रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अन्य कोई सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो और वादी के हक में पड़ती हो, वादी को दिलायी जावे।

वाद में पूर्व मे न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.11.2015 वाद वादी स्वीकार किया गया था। जिसकी माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहा अपील संख्या 09/2016 दर्ज होकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया विद्वान उपखण्ड अधिकारी नवलगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.11.2015 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करे।

प्रकरण बाद अपील स्वीकार होकर रिमाण्ड होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नम्बर 01 लगायत 27, प्रतिवादीगण संख्या 29 लगायत 45 की तलबी सम्यक रूप से होने के पश्चात बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने के पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 28 की तामिल कुनिन्दा द्वारा फौत की रिपोर्ट होकर प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 28 का नाम हजफ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन स्वीकार किया। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 28 की मृत्यू होने उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है तथा प्रतिवादी संख्या 28 के वारिस रिकार्ड पर होने से प्रतिवादी संख्या 28 का नाम हजफ किया किया जाकर नाम हजफ लाल स्याही से अंकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 को पूर्व में जवाब दावा पेश किया हुआ है कि ग्राम देवगांव की सरहद मे स्थित सम्वत् 2009 में भूमि खसरा नम्बर 244, 259, 223, 224 थे इनमें से एक रास्ता खसरा नम्बर 244 के उत्तरी कोने से शुरू होकर खसरा नम्बर 259, 224 मे से होकर खोजास जाता था, इसी रास्ते मे से एक रास्ता खसरा नम्बर 259 के नये खेत की उत्तरी सीमा से कटकर खसरा नम्बर 223 तक जाता था जो नक्शा सीट 2009 में कटानी रास्ता था मिलान क्षैत्रफल 1985 के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 258 के नये खसरा नम्बर 441 बने पुराने खसरा नम्बर 259 के नये खसरा नम्बर 442, 443 बने व पुराने खसरा नम्बर 223 के नये खसरा नम्बर 398 बने व पुराने खसरा नम्बर 224 के नये खसरा नम्बर 396, 397, 399, 400 व 401 बने है। मुताबिक रिकार्ड नई नक्शा ट्रेस सीट 1985 में सम्वत् 1985 में सम्वत् 2009 के कटानी रास्ते को नही दर्शाया गया। जवाब प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा वाद तथ्यों के अनुसार रास्ता गत सीट के अनुसार नई पैमाईश के दौरान बनी नई शीट में पुराने रास्ते का नही दर्शायाा गया है। प्रतिवादी नम्बर 01 ने अपने जवाब दावे में वाद तथ्यों को स्वीकार किया गया है।

प्रकरण एक पक्षीय होने से तनकीयात कायम नही की गई। वकील वादी द्वारा शहादत वादी पेश नही करना जाहिर किया गया। शहादत वादी बंद की गयी। बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम देवगांव सम्वत् 2009 की नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया जिसमें एक रास्ता खसरा नम्बर 244 से 256, 258, 259 से होकर 223 तक दर्शाया गया है तथा दुसरा रास्ता पश्चिम से पूर्व की ओर खसरा नम्बर 224 से 259, 258, 256, 255, 254, 268 तक डोटेड लाईनों से रास्तों

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:26 IST
Reason: SelfAttested

का अंकन किया गया है। नई पैमाईश के दौरान उक्त रास्तों को काई अंकन नही किया गया है। प्रतिवादी नम्बर 01 भूमिधारक द्वारा भी सम्वत् 2009 के अनुसार नई नक्शा सीट वर्ष 1985 में रास्ते को नही दर्शाया जाना अंकित किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से वादी वादी स्वीकार किया जाता है।

::आदेश ::

उरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी नजरी नक्शा स्वीकार किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम देवगांव नक्शा ट्रेस सम्वत् 2009 के अनुसार नजरी नक्शा के बिन्दु संख्या ए. बी. सी. डी. के मध्य डोटेड लाईन से दर्ज रास्तों का अंकन किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
आर. ए. एस. (प्रशि.)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फा.ट्रे.) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:26 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
दमयंती कंवर्र (आर0ए0एस0) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.), नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ व नक्शा दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 141 / 2018 (गोर्वधन – बनाम – भूमि धारक तहसीलदार वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दमयंती कंवर (आर. ए. एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 22.03.2021 निर्णय अनुसार वाद वादी नजरी नक्शा स्वीकार किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम देवगांव नक्शा ट्रेस सम्वत् 2009 के अनुसार नजरी नक्शा के बिन्दु संख्या ए. बी. सी. डी. के मध्य डोटेड लाईन से दर्ज रास्तों का अंकन किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन..........–.......... मुबलिग..........–..........बावत......–.........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22 माह 03 सन 2021 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फा.ट्रे.) नवलगढ़
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	04.00	स्टाम्प वकालतनामा	4.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	10.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	18.00		4.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:26 IST
Reason: SelfAttested